

## संसद में वधियकों का व्यपगमन

### चर्चा में क्यों?

सरकार एक बार फिर से उन सभी वधियकों को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है जो 16वीं लोकसभा के वधितन के बाद समाप्त/व्यपगत/लैप्स (Lapse) हो गए थे। उल्लेखनीय है कि 22 ऐसे वधियक हैं जिनमें लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया जाना है क्योंकि वे व्यपगत/समाप्त (Lapse) हो गए हैं।

- इन लैप्स वधियकों में मुस्लिम महिला (ववाह अधिकार संरक्षण) वधियक, 2018 [Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill] उपभोक्ता संरक्षण वधियक (Consumer Protection Bill), डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill] वनियमन वधियक जैसे कुछ प्रमुख वधियक भी शामिल हैं।

### समरणीय बढि

- केवल लोकसभा और वधानसभाओं का वधितन होता, राज्यसभा और राज्य वधानपरषिद के वधितन का कोई प्रावधान नहीं है।
- जब लोकसभा वधितति की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे- वधियक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं।
- इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संवधान के अनुच्छेद 107 और 108 में दिये गए हैं।
- **व्यपगत/लैप्स होने वाले कुछ प्रमुख वधियक:**
  - मुस्लिम महिला (ववाह अधिकार संरक्षण) वधियक, 2018 [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018]
  - आधार और अन्य कानून (संशोधन) वधियक [Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill]
  - कंपनी (संशोधन) वधियक [Companies (Amendment) Bill]
  - अनियमति जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी वधियक, 2018 [Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill]
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) वधियक [Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill]
  - मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) वधियक [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill]
  - उपभोक्ता संरक्षण वधियक [Consumer Protection Bill]
  - चिटि फंड (संशोधन) वधियक [Chit Funds (Amendment) Bill]
  - डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) वनियमन वधियक [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill]

### कोई वधियक व्यपगत/समाप्त कब होता है?

- ऐसे वधियक जो लोकसभा में हैं (चाहे लोकसभा में रखे गए हों या राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किये गए हों)।
- ऐसे वधियक जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में वधियक नहीं हैं।
- ऐसे वधियक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए हों तथा पारित भी हो गए हों लेकिन लोकसभा में वधियक नहीं हों, लोकसभा के वधितन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
- एक ऐसा वधियक जो राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है लेकिन लोकसभा द्वारा इसे संशोधन के साथ राज्यसभा को लौटा दिया जाता है और तब इसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलती है, तो नचिले सदन के वधितन की तथि को इस वधियक को समाप्त माना जाता है।

### वधियक कब समाप्त नहीं होता?

ऐसा वधियक जो राज्यसभा में वधियक नहीं हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो।

ऐसा वधियक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये वधियक नहीं हो।

ऐसा वधियक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्वचिार के लिये लौटा दिया गया हो।

लंबति वधियक और सभी लंबति आश्वासन जनिकी जाँच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है।

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lapsing-of-bills-in-parliament>

